संख्या-79/2022/ई-2051166/71-3099/48/2022-03

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- COO HITES Ltd, Noida,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 27 अप्रैल, 2022

विषयः- केन्द्र सहायितत योजना (फेज-2) के अंतर्गत 08 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं मेडिकल कालेज, जौनपुर की द्वितीय एल0ओ0पी0 हेतु तथा फेज-3 के अंतर्गत 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरण व हास्पिटल फर्नीचर कय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2021/1065, दिनांक 22.02.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना फेज-2, फेज-3 के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा मेडिकल कालेज, जौनपुर में उपकरण व हास्पिटल फर्नीचर को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध ढ़ग से क्रय किये जाने हेतु भारत सरकार की संस्था हाईट्स की सेवाएं लिए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फेज-2 के अन्तर्गत 08 मेडिकल कालेजों एवं मेडिकल कालेज, जौनपुर की द्वितीय एल0ओ0पी0 तथा फेज-3 के अन्तर्गत 14 मेडिकल कालेजों की प्रथम एल0ओ0पी0 हेतु उपकरणों व फर्नीचर का क्रय एवं आपूर्ति भारत सरकार की संस्था हाईट्स के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

I. फर्नीचर/उपकरणों का क्रय जहॉ तक सम्भव हो ओ0ई0एम0 (ओरिजनल इक्यूपमेंट मैनुफैक्चरर) से किया जाएगा।

II. महानिदेशक स्तर से गठित समिति द्वारा प्रश्नगत उपकरणों/फर्नीचर की विशिष्टियॉ एवं अनुमानित लागत निर्धारित किया जाए। उक्तानुसार किये गये मानकीकरण के अनुसार फर्नीचर/उपकरण का क्रय किया जाएगा। मानकीकरण द्वारा निर्धारित दर से 10 प्रतिशत अधिक की विचलन की स्थिति अथवा गैर मानकीकृत उपकरण /फर्नीचर सक्षम स्तर/मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनुमोदनापरान्त हाईट्स के माध्यम से क्रिय किया जाएगा।

III. हाईट्स द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके द्वारा आपूर्तित सामग्री की दरें न्यूनतम हैं एवं उक्त दरों से न्यून दरों पर सामग्री की आपूर्ति प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अन्यत्र नहीं की गयी हैं।

IV सम्बन्धित प्रधानाचार्य/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उपकरणों/फर्नीचर मानक के अनुसार होने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उपरांत आपूर्ति ली जाए। डुप्लीकेसी से बचने के लिए उपकरणों का स्टाक इंट्री आदि का समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य एवं सम्बन्धित अधिकरी का होगा।

V फर्नीचर/उपकरण के क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों के अनुपालन का दायित्व हाईट्स का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

V. सम्बन्धित उपकरण/फर्नीचर का निर्धारित अवधि में आपूर्ति न किये जाने की दशा में सम्बन्धित प्रधानाचार्य/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विलम्ब शुल्क (पेनाल्टी) के अधिरोपण का उल्लेख एम0ओ0यू0 करते समय महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

VI. HITES द्वारा क्रय करने के लिए कुल मूल्य का 2 प्रतिशत कन्सलटेन्सी के रूप में लिया जायेगा जिस पर जी0एस0टी0 की देयता अतिरिक्त होगी। उपर्युक्तानुसार शर्तों का उल्लेख हाईट्स एवं महानिदेशक के मध्य प्रस्तावित एम0ओ0यू0 में किया जाएगा।

3- महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 द्वारा HITES Ltd से सम्पर्क स्थापित करते हुए उपर्युक्तानुसार एम0ओ0यू0 की कार्यवाही एवं अपने से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को 01 सप्ताह के भीतर अवगत कराया जाए।

4- इस सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा यह ज्ञात कर लिया जाए कि हाईट्स द्वारा अन्यत्र फर्नीचर/उपकरण क्रय की जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उनमें कन्सल्टेन्सी 02 प्रतिशत लिया जा रहा है अथवा उससे कम दरों पर सेवाएं दी जा रही है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी (मा0 उप मुख्यमंत्री जी), चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया/एटा/फतेहपुर/गाजीपुर/हरदोई/मीरजापुर/प्रतापगढ़/सिद्धार्थनगर/जौनपुर/अमेठी/औरैया/कानपुरदेहात/कुशीनगर/कौशाम्बी/ गोण्डा/चन्दौली/पीलीभीत/बुलन्दशहर/बिजनौर/लखीमपुर खीरी/ललितपुर/सुल्तानपुर/सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in